

संख्या-300/39-4-2026-10(01)/2026

प्रेषक,

राज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4**लखनऊ: दिनांक: मार्च, 2026**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद संख्या-04-यात्रा व्यय एवं मद-49 चिकित्सा व्यय की मद में अधिक व्यय की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स०अ०/अनु-4/बी-260/2024 दिनांक 11.02.2026 एवं पत्र संख्या- स०अ०/अनु-4/बी-260/2024 दिनांक 24.03.2026 के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-082-सतर्कता विभाग-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-104-सतर्कता-04-सतर्कता निदेशालय की मानक मद-01-वेतन एवं मानक मद-03-महंगाई भत्ता में उपलब्ध बचत की धनराशि में से आवश्यकतानुसार मानक मद-04-यात्रा व्यय एवं मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में कुल रु० 1,07,50,000/-(रुपये एक करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र) का पुनर्विनियोग संलग्न बी०एम०-9 प्रपत्रानुसार उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान को अग्रतर आवश्यक कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम एवं शर्तें

- (1) उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- (2) उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।
- (3) पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित की जा रही धनराशि से संबंधित बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्रुत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान का होगा।

(5) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया जा रहा है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(6) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस लेखाशीर्ष/मानक मद से पुनर्विनियोग की धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है उस लेखाशीर्ष/मानक मद में भविष्य में धनराशि की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के संख्या:RE-budget-1-788-E-12-750-X-2025-26-दिनांक: 30-03-2026 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-12
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4. वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।
5. आदेश-पुस्तिका।

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Digitally signed by
Raj Kumar Singh
Date: 30-03-2026

3/30/26, 7:03 PM

about:blank

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A039-20252026-10-01-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पुनर्विनियोग द्वारा अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
082	2070001040400 03 (सतर्कता निदेशालय)	(मंहगाई भत्ता)	27,60,00,000 रुपये सत्ताईस करोड़ साठ लाख मात्र	32,50,000 रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र	32,50,000 रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र	32,50,000 रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र	27,27,50,000 रुपये सत्ताईस करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र	2025-2026
082	2070001040400 01 (सतर्कता निदेशालय)	(वेतन)	46,00,00,000 रुपये छियालीस करोड़ मात्र	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र	45,25,00,000 रुपये पैतालीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 1,07,50,000	₹ 1,07,50,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

3/30/26, 7:03 PM

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
082	2070001040400 (सतर्कता निदेशालय)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	81,50,000 रुपये इक्यासी लाख पचास हजार मात्र	81,50,000 रुपये इक्यासी लाख पचास हजार मात्र	2,31,50,000 रुपये दो करोड़ इकतीस लाख पचास हजार मात्र	2025-2026
082	2070001040400 (सतर्कता निदेशालय)	04 (यात्रा व्यय)	90,00,000 रुपये नब्बे लाख मात्र	26,00,000 रुपये छब्बीस लाख मात्र	26,00,000 रुपये छब्बीस लाख मात्र	1,16,00,000 रुपये एक करोड़ सोलह लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 1,07,50,000	₹ 1,07,50,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

- (1) जिस मद में पुनर्विनियोग कर रहे हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।
- (2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है, उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- (3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है, इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

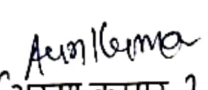
संख्या:RE-budget-1-788-E-12-750-X-2025-26-दिनांक: 30-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।


राज कुमार सिंह

अनु सचिव


(अरुण कुमार)

अनु सचिव

संख्या : 16(1)/39-4-2026-10(01)/2026
दिनांक- 30 मार्च, 2026

about:blank

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निदेशक, उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।
- (2) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- (5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (6) आदेश पुस्तिका।

चन्दन सिंह
30.03.2026

आज्ञा से
राज कुमार सिंह
अनु सचिव